FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **मलसीसर**

किताबों बनाम **राज0 सरकार**

किस्म मुकदमा : प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 राज. भू–राजस्व अधि0 मु0न0 **54** सन् **2025**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.07.2025	आज यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से एडवोकेट श्री विजयसिंह लालपुरिया द्वारा बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलवाना मय नकल प्रार्थना पत्र रजिस्टर्ड एडी से जारी होकर पत्रावली वास्ते तलवी आईन्दा दिनांक 13.08.2025 को पेश हो। [signature]	
13/8/25	**पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उप.।** **पत्रावली गत आदेशानुसार आइन्दा** **दिनांक**...10/9/25......**को पेश हो।** [signature]	
10/9/25	**पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण न्यायालयों में कार्य नहीं कर रहे हैं।** **अतः पत्रावली गत आदेशानुसार आयन्दा** **दिनांक** 8/10/25......**को पेश हो** [signature]	
8/10/25	वकुलाय उप0। प्रार्थना पत्र के संदर्भ में रिपोर्ट ली जावे। मिसल वास्ते इन्तजार रिपोर्ट आइन्दा दिनांक 19/11/25 को पेश हो। [signature]	
19/11/25	वकुलाय उपस्थित। तहसीलदार मलसीसर से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। वकील प्रार्थीया के निवेदन पर बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जमीन जैर बहस ख0न0 19, 20, 21, 82, 84, 85, 86, 87 कुल किता 8 कुल रकबा 8.80 है0 वाके ग्राम खीचड़ो का बास के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम किताब पुत्री सोहनसिंह व किताब पुत्री सोहनराम के बजाय दस्तावेजी व सही नाम किताबो पुत्री सोहनराम दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने का निवेदन किया। तहसीलदार मलसीसर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 2027 दिनांक 13.11.2025 के द्वारा ग्राम खीचड़ो का बास के खाता संख्या 9 व 55 में प्रार्थीया का नाम किताब पुत्री सोहनसिंह व किताब पुत्री सोहनराम के स्थान पर किताबों पुत्री सोहनराम दुरूस्त किया जाना उचित बताया है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीया स्वयं के शपथ पत्र तथा तहसीलदार मलसीसर की रिपोर्ट एवं उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। निर्णय अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जमीन जैर बहस वाके ग्राम खीचड़ो का बास के खाता संख्या 9 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज किताब पुत्री सोहनसिंह व खाता संख्या 55 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज किताब पुत्री सोहनराम के स्थान पर सही नाम किताबो पुत्री सोहनराम दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार मलसीसर को पालनार्थ भेजी जावे। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। [signature]	